

प्रमाणपत्र - 33412404-12 दि 07/11/2012 के आधार पर जारी / परिशिष्ट 1

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले
अनुसूचित जाति वा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले
प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय सिंह पुत्र श्री राम नारायण सिंह
ग्राम/नगर हनुमानपुर जिला/राज्य/मण्डल/संघ राज्य क्षेत्र के निवासी कानपुर देहात, 20500, नगर, (लखनऊ)
जाति/जनजाति से सम्बन्धित हैं जो निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है :-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950
संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (संशोधन) आदेश 1956 द्वारा संशोधित, बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन अधिनियम 1971) तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976

- * संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956
- * संविधान (अण्डमान निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959
- * अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित
- * संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962
- * संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962
- * संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964
- * संविधान (उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति) आदेश 1967
- * संविधान (गोवा दमन व दीप) अनुसूचित जाति आदेश 1968
- * संविधान (गोवा दमन व दीप) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968
- * संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश 1970
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1978
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 1990
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 1991
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1991
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) अध्यादेश 1996

2. यह प्रमाण पत्र श्री संजय सिंह पुत्र श्री राम नारायण सिंह
ग्राम/नगर हनुमानपुर जिला/मण्डल कानपुर देहात
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उ.प्र. को जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
जाति/जनजाति से सम्बन्धित है जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उ.प्र. में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, को अथवा श्री संजय सिंह तथा अथवा उसका परिवार जो साधारणतया ग्राम/नगर हनुमानपुर जिला/मण्डल कानपुर देहात राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं को जारी करने वाले निर्धारित प्राधिकृत अधिकारी का नाम द्वारा उनके दिनांक 07/11/2012 संख्या 33412404-12 के अधीन जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

स्थान लखनऊ
दिनांक 07/11/2012



हस्ताक्षर
मुहम्मद

टिप्पणी : यहां साधारणतया निवास करते हैं का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है।
जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारियों की सूची :-
1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/उप मण्डल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट
2. मुख्य महाप्रान्त मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य महाप्रान्त मजिस्ट्रेट/महाप्रान्त मजिस्ट्रेट
3. राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसीलदार से कम न हो
4. उस क्षेत्र के उप मण्डल अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।
टिप्पणी : तमिलनाडु राज्य के रहने वाले अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार केवल राजस्व मण्डल अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।